बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

होशंगाबाद रोड, भोपाल—462026

कमांक डी—009 /अ0छा0क0/गणतंत्र दिवस/ 2023 भोपाल, दिनांक 18-01-2023

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग
ब0 वि0 वि0 भोपाल

विषयः गणतंत्र दिवस समारोह दिनांक 26 जनवरी 2023 के आयोजन संबंधी।
सन्दर्भः म0 प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 23—13/2019/38—2

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित किया जाता है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर निम्नलिखित कार्यकमों का आयोजन किया जाना हैः—

क0	कार्यकम	दिनांक	विषय	समय	स्थान
1	निवंध लेखन	20.01.2023	अमर शहीदों पर केन्द्रित प्रेरक प्रसंग लेखन	दोपहर 2.00 बजे	वाणिज्य विभाग
2	वृक्षारोपण	26.01.2023	—	सुबह 10.00 बजे	शारीरिक शिक्षा विभाग
3	सद्‌भावना रैली	26.01.2023	—	सुबह 9.30 बजे	सत्य भवन (झंडा वंदन के पश्चात)

समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया विभाग से निबंध प्रतियोगिता हेतु 2 विद्यार्थियों के नाम सहभागिता हेतु दिनांक 19.01.2023 सायं 4.00 बजे तक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग में भेजने एवं वृक्षारोपण व सद्‌भावना रैली में 20—20 विद्यार्थियों को भेजने का कष्ट करें ।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

पृ0 कमांक डी— 010 /अ0छा0क0/गणतंत्र दिवस/ 2023 भोपाल, दिनांक 18-01-2023

प्रतिलिपिः—

1 निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय की ओर सादर सूचनार्थ।

2. निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव महोदय की ओर सादर सूचनार्थ।

3. अवर सचिव, म0 प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

4.अध्यक्ष, अधिकारी संघ एवं कर्मचारी संघ की ओर इस आशय के साथ कि सद्‌भावना रैली में सभी विश्वविद्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5. प्रभारी, वेबसाईट सेल, ब0वि0वि0 की ओर सूचनार्थ एवं पत्र को वेवसाईट पर अपलोड हेतु।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 23-13/2019/38-2 भोपाल, दिनांक: 19 /01/2023

प्रति,

1. कुलसचिव
समस्त शासकीय / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

2. प्राचार्य
समस्त शासकीय / अशासकीय अनुदान प्राप्त / अशासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश ।

विषय :- गणतंत्र दिवस समारोह दिनांक 26 जनवरी 2023 के आयोजन बावत ।
संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 5-12/2022/1/4 दिनांक 05/01/2023 ।

---000---

दिनांक 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए । गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में निम्नानुसार कार्यक्रम / गतिविधियां आयोजित की जाए ।

1. शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थलों पर दिनांक 26 जनवरी 2023 को एक दिन रोशनी की जाए ।

2. सभी संस्थानों में ध्वजारोहण तथा राष्ट्रगान के आयोजन उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए । सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्न विधाओं में से किसी एक विधा का संचालन कर गतिविधियां आयोजित की जाए -

- देशभक्ति गीत प्रतियोगिता
- प्रदर्शनी / छायाचित्र / पोस्टर / कोलाज (गणतंत्र दिवस पर केन्द्रित)
- अमर शहीदों पर केन्द्रित प्रेरक प्रसंग लेखन / भाषण
- देशभक्ति पर आधारित नृत्य / नुक्कड नाटक
- वृक्षारोपण
- रक्तदान
- सदभावना रैली
- किसी ग्राम विशेष / गोद ग्राम में स्वच्छता अभियान

निरंतर.....2.....

DR/AR Admin
DSLO/NSS
UE

3. समारोह अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण पूर्व से कर लिया जाए। महाविद्यालयों में संचालित एनसीसी / एनएसएस इकाई के विद्यार्थियों की परेड का आयोजन भी कराया जाए।

गणतंत्र दिवस समारोह दिनांक 26 जनवरी 2023 के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(संलग्न :- उपरोक्तानुसार)

16.1.23

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक: एफ 23-13/2019/38-2 भोपाल, दिनांक: 80 /01/2023

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
5. सचिव, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु।

16-1-23

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462 004

क्रमांक एफ 5–12/2022/1/4 भोपाल, दिनांक 05/01/2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

9 JAN 2023

विषयः गणतंत्र दिवस, समारोह 26 जनवरी 2023 आयोजन बाबत्।

दिनांक 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार होगी :–

1/ राष्ट्रीय ध्वज फहराना:– प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय ध्वज राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर फहराया जाएगा।

2/ राजधानी भोपाल:–

(2.1) सलामी:– 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। उक्त कार्यक्रम प्रातः 9.00 बजे आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेगें तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेगें।

(2.2) परेड:– परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सी.आई.एस.एफ., आर.ए.एफ., N.C.C. एवं N.S.S. छात्रों की टुकडियां होगीं तथा स्काउट एवं गाईड तथा शौर्यदल होगा। परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा।

(2.3) इसके पश्चात झांकियां निकाली जायेंगी।

(2.4) गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर गुब्बारे उड़ाए जाएंगें।

3 / <u>जिला मुख्यालयः–</u>

(3.1) जिला मुख्यालयों पर गतवर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा तथा परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नही होगी।

(3.2) गत वर्षानुसार झांकियां निकाली जाएगी।

(3.3) बच्चों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण पूर्व से किया जाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र इत्यादि के सहयोग से जिलों में गणतंत्र दिवस दौड़ का आयोजन किया जाएगा।

(3.4) गतवर्ष अनुसार झाकियों, परेड दल एवं स्कूली छात्रों के पुरस्कार तथा जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं / शासकीय कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धारित प्रकिया का पालन पूर्ण करते हुए सम्मानित किया जाए।

(3.5) शिक्षण संस्थाओं में (स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालयों) कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्र–गान का आयोजन किया जाए इसके उपरान्त स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

4 / <u>जनपद एवं ग्राम पंचायत / नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत :–</u>

(4.1) जनपद पंचायत मुख्यालय में अध्यक्ष, जनपद पंचायत द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्र–गान गाया जाएगा।

(4.2) ऐसी नगर पालिका / नगर परिषद, जिनका मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं है, उनमें माननीय अध्यक्ष नगर पालिका / नगर परिषद द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्र–गान गाया जाएगा।

(4.3) ग्राम पंचायत मुख्यालय में सरपंच द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्र–गान गाया जाएगा।

5/ ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

6/ कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।

7/ विभिन्न समाचार पत्रों में गणतंत्र दिवस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के संदेशों पर केन्द्रित किया जाएगा एवं विज्ञापनों को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि 26 जनवरी 2023 को प्रदेश के समाचार पत्रों में शहीदों जिसमें मध्यप्रदेश के शहीद भी शामिल हों, के सम्बन्ध में संदेश प्रसारित हों।

8/ समारोह स्थल पर संसद सदस्यों/ विधायकों/ महापौर/ पार्षदों/ गणमान्य नागरिकों/ सैनिक व असैनिक अधिकारी/ स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों/लोकतंत्र सैनानियों के बैठने हेतु समुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाये। जो स्वतंत्रता संग्राम सैनानी वयोवृद्ध हैं अथवा अस्वस्थ हैं उन्हें उनके घर पर जाकर सम्मानित किया जाएगा।

(दिलीप कुमार कापसे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5–12/2022/1/4 भोपाल, दिनांक 05/01/2023

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3– उप संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462 004

क्रमांक एफ 5–12/2022/1/4 भोपाल, दिनांक 05/01/2023

प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

9 JAN 2023

विषयः 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी किये जाने बाबत्।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में समस्त शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थलों पर दिनांक 26 जनवरी 2023 को एक दिन रोशनी की जाएगी।

इस व्यवस्था पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे।

(दिलीप कुमार कापसे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5–12/2022/1/4 भोपाल, दिनांक 05/01/2023

प्रतिलिपि :–

1– राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल,
2– प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा, भोपाल,
3– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, जबलपुर,
4– पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल,
5– सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल,
6– सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,